अक्षिता जैन, V, सृजन स्कूल, दिल्ली

## धर्म को राज्य से अलग रखना महत्त्वपूर्ण क्यों है?

जैसी कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ-साथ रहते हैं। ज़ाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुँच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ़ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। उनके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन, वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग-अलग रखना इतना महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएँगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो क्या आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है।

कक्षा में चर्चा करें- क्या एक ही धर्म के भीतर अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं?

पिंकी, VI G. सर्वोदय कन्या विद्यालय, दिल्ली

## भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है?

भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार, केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का खयाल रख सकता है कि-

1. कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए;
2. कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएँ; और
3. राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा।

इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ़्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

## दक्षिण एशिया का घटनाक्रम ( 1947 से )

| | |
|---|---|
| 1947 | : ब्रिटिश-राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। |
| 1948 | : श्रीलंका (तत्कालीन सिलोन) को आज़ादी मिली; कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई। |
| 1954-55 | : पाकिस्तान शीतयुद्धकालीन सैन्य गुट 'सिएटो' और 'सेंटो' में शामिल हुआ। |
| सितंबर 1960 | : भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। |
| 1962 | : भारत और चीन के बीच सीमा-विवाद। |
| 1965 | : भारत-पाक युद्ध; संयुक्त राष्ट्रसंघ का भारत-पाक पर्यवेक्षण मिशन। |
| 1966 | : भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। शेख मुजीबुर्रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए छः सूत्री प्रस्ताव रखा। |
| मार्च 1971 | : बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की उद्घोषणा। |
| अगस्त 1971 | : भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर दस्तख़त किए। |
| दिसंबर 1971 | : भारत-पाक युद्ध; बांग्लादेश की मुक्ति। |
| जुलाई 1972 | : भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला-समझौता। |
| मई 1974 | : भारत ने परमाणु-परीक्षण किए। |
| 1976 | : पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनयिक संबंध बहाल हुए। |
| दिसंबर 1985 | : 'दक्षेस' के पहले सम्मेलन (ढाका) में दक्षिण एशिया के देशों ने 'दक्षेस' के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। |
| 1987 | : भारत-श्रीलंका समझौता; भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान (1987-90)। |
| 1988 | : मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहाँ सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। |
| 1988-91 | : पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली। |
| 1993 | : 'दक्षेस' के सातवें सम्मेलन (ढाका) में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि (SAPTA) पर हस्ताक्षर। |
| दिसंबर 1996 | : गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए। |
| मई 1998 | : भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। |
| दिसंबर 1998 | : भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। |
| फरवरी 1999 | : भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस-यात्रा कर लाहौर गए तथा शांति के एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। |
| जून-जुलाई 1999 | : भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल-युद्ध। |
| जुलाई 2001 | : वाजपेयी-मुशर्रफ के बीच आगरा-बैठक असफल। |
| फरवरी 2004 | : 12वें दक्षेस सम्मेलन में 'मुक्त व्यापार संधि (SAFTA)' पर हस्ताक्षर हुए। |
| 2007 | : अफ़गानिस्तान दक्षेस का सदस्य बना। |
| नवंबर 2014 | : 18वां दक्षेस सम्मेलन काठमांडू, नेपाल में हुआ। |

## पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र

पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही निर्वाचन भी करा लिया। उनके शासन खिलाफ़ जनता का गुस्सा भड़का और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ जनरल याहिया खान ने शासन की बाग संभाली। याहिया खान के सैनिक-शासन दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश-संकट सामना करना पड़ा और 1971 में भारत साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहल इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार जो 1971 से 1977 तक कायम रही। 197 जेनरल जियाउल-हक ने इस सरकार को दिया। 1982 के बाद जेनरल जियाउल-ह को लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन का सा करना पड़ा और 1988 में एक बार बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक स बनी। पाकिस्तान में इसके बाद की राज बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द घूमती रही। निर्वाचित लोकतंत्र की यह 1999 तक कायम रही। 1999 में एक फिर सेना ने दखल दी और जेनरल मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को दिया। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस पर सेना की हुकूमत थी हालाँकि सैन्य शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक के लिए चुनाव कराए हैं। 2008 से पाकिस में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता श कर रहे हैं।